



राजस्थान विश्वविद्यालय University of Rajasthan

Phone: +91+141-2711070; EPBX.: 612
Email: drteachinguniraj@gmail.com

Date: 20/03/2024

No. Estt.-I/2024/3066

परिपत्र

राज्य सरकार के पत्रांक: प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011-03386 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि सिण्डीकेट के विनिश्चय सं. 13 दिनांक 05.10.2017 एवं विश्वविद्यालय परिपत्रांक: Estt.-I/2024/600 दिनांक 16.01.2024 की निरंतरता में राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों, जिनकी ग्रेड पे 4200 या अधिक है, को निर्देशित किया गया था, कि वे प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा स्वयं के स्तर पर ऑन-लाईन पूर्ति करें। इसी क्रम में अचल संपत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई जाती है।

वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल संपत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।

जो शिक्षक/अधिकारी अपना अचल संपत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक स्तर पर उनको विजीलेंस क्लियरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अवधेश सिंह)
कुलसचिव

क्रमांक: संस्था-1/विधि-II/2024/3067-3117

दिनांक 20/03/2024

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मानद निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/प्रबन्धन/गाँधीयन स्टडीज/जैन स्टडीज, आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी(पुरुष/महिला), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा. वि. वि., जयपुर।
11. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj Jais
(राजकुमार जैन)

उप-कुलसचिव (संस्थापन-I)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प.13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021-03386

जयपुर, दिनांक: 15.03.2024

-:परिपत्र:-

विषय:-समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाइन भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.12.2023 के द्वारा समस्त राजसेवकों को वर्ष 2023 (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। इसी क्रम में अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि दिनांक 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई जाती है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि जिन राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण अभी तक नहीं भरा है उन राजसेवकों को अचल सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूप से भरने हेतु अपने स्तर पर भी निर्देशित करें।

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा.उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभार - जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग



Signature valid

Digitally signed by Kanishk Kataria
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.15 17:27:19 IST
Reason: Approved